विनियामक और अन्य उपाय

दिसंबर 2010

आरबीआइ/2010-11/303 बैंपविवि.एएमएल.बीसी. सं. 65/14.01.001/2010-11 दिनांक 7 दिसंबर 2010

बैंक खातों का परिचालन तथा धनशोधन के माध्यम बने व्यक्ति

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं/स्थानीय क्षेत्र के बैंक

अपराधिक तत्वों द्वारा धनशोधन अथवा आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों के इरादतन या गैर-इरादतन दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं जिन्हें 01 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 2/14.01.001/2010-11 में समेकित किया गया है ।

2. यह बात हमारे ध्यान में लाई गई है कि अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (उदाहरणार्थ फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की सेवा ली जाती है जो धनशोधन के माध्यम बन जाते हैं। ऐसे अपराधी इन तीसरे पक्षकारों को 'धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने के लिए राजी कर अवैध रूप से जमा खातों तक पहुँच बना लेते हैं। कुछ मामलों में ये तीसरे पक्षकार निर्दोष हो सकते हैं लेकिन अन्य मामलों में अपराधियों के साथ उनकी मिलीभगत हो सकती है।

3. धनशोधन के माध्यम संबंधी लेनदेन में एक बैंक खाताधारक व्यक्ति को अपने खाते में चेक जमा अथवा तार अंतरण प्राप्त करने और तत्पश्चात् कमीशन की एक निश्चित राशि अपने लिए घटाकर इन निधियों को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धारित खातों में अथवा अन्य व्यक्तियों को अंतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है । ऐसे व्यक्तियों को स्पैम ई-मेल, भर्ती की मान्य वेबसाइटों पर विज्ञापनों, सोशल नेटवर्किंग साइटों, इंस्टैंट मैसेजिंग तथा समाचार पत्रों में विज्ञापनों जैसे तमाम तरीकों से इस कार्य के लिए राजी किया जा सकता है। जब धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो प्रायः उनके बैंक खाते निलंबित कर दिए जाते हैं जिसके कारण धोखाधड़ी में हिस्सेदारी के लिए संभावित कानूनी कार्रवाई भुगतने के अलावा उन्हें असुविधा और भारी वित्तीय क्षति भी उठानी पड़ती है। कई बार तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे व्यक्तियों के पते और संपर्क के ब्योरे नकली निकलते हैं या वे अद्यतन नहीं होते जिससे प्रवर्तन एजेंसियों को खाताधारक का पता लगाने में कठिनाई होती है।

4. यदि बैंक अपने अपने ग्राहक को जनिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर मास्टर परिपत्र में निहित दिशानिर्देशों का पालन करें तो धनशोधन के माध्यम बने ऐसे खातों के परिचालन को कम-से-कम किया जा सकता है । अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध पर समय-समय पर जारी तथा खाता खुलने के बाद ग्राहक पहचान संबंधी आंकड़ों को आवधिक रूप से अद्यतन करने संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें ताकि वे ऐसे धोखेबाजों द्वारा अपना और अपने ग्राहकों का दुरुपयोग होने से बचाव कर सकें ।

आरबीआइ/2010-11/305 ग्राआऋवि.एसएमई एवं एनएफएस. बीसी.सं.35/06.02.31(पी)/2010-11 दिनांक 6 दिसंबर 2010

इकाइयों का स्वामित्व- एक ही स्वामित्व के अंतर्गत दो या उससे अधिक उपक्रम: इकाई की स्थिति

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर)

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 नवंबर 1993 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.सं.पीएलएनएफएस.सं.बीसी.67/06.03.01/93-94 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि वे इकाईयों की लघु उद्योग स्थिति निर्धारित करने के प्रयोजन से भारत सरकार,उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 1 जनवरी 1993 की अधिसूचना सं.एस.ओ.2 (ई) में दर्शाए दिशा-निर्देशों का पालन करें ।

2. चूंकि एमएसएमइडी अधिनियम, 2006 में माइक्रो,लघु और मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु एक ही व्यक्ति/कंपनी द्वारा स्थापित भिन्न-भिन्न उद्यमों के निवेशों को सम्मिलित करने

का प्रावधान नहीं है, भारत सरकार ने दिनांक 15 अप्रैल 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5 (10) 2007 एमएसएमइ / पीओएल द्वारा सूचित किया है कि लघु उद्योग के रूप में औद्योगिक उपक्रमों के वर्गीकरण के प्रयोजन हेतु एक ही स्वामित्व के अंतर्गत दो या अधिक उद्यमों के निवेशों को सम्मिलित करने के प्रावधान,जो दिनांक 1 जनवरी 1993 के राजपत्र अधिसूचना सं.एसओ 2 (ई) द्वारा अधिसूचित है (दिनांक 10 दिसंबर 1997 की प्रमुख अधिसूचना सं. एस ओ. 857 (ई) द्वारा पुन: अधिसूचित)को दिनांक 27 फरवरी 2009 की अधिसूचना सं.एस.ओ.563 (ई) द्वारा निरस्त कर दिया है । अधिसूचना की प्रतियाँ संलग्न हैं ।

3. कृपया आप अपनी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालय को उचित अनुदेश जारी करें तथा उसका व्यापक प्रचार करें ।

आरबीआइ/2010-11/307 ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी. एएमएल. बीसी.सं.37/07.40.00/2010-11 दिनांक 10 दिसंबर 2010

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशा-निर्देश - वेतनभोगी कर्मचारी

मुख्य कार्यपालक
सभी राज्य तथा केंद्रीय सहकारी बैंक

कृपया 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) दिशानिर्देश - धनशोधन निवारण के संबंध में 18 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं. 80/07.40.00/2004-05 देखें। उक्त परिपत्र के साथ संलग्न अनुबंध II में ऐसे दस्तावेजों/सूचनाओं की प्रकृति और स्वरूप के संबंध में एक निदर्शनात्मक सूची दी गयी है, जिनका उपयोग बैंक खाते खोलते समय ग्राहकों की पहचान और पते के सत्यापन के लिए किया जा सकता है।

2. यह बात हमारे ध्यान में लायी गयी है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलते समय कुछ बैंक पहचान के प्रमाण के लिए तथा पते के प्रमाण के लिए नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पत्र पर एकमात्र केवाइसी दस्तावेज के रूप में निर्भर करते हैं। इस प्रकार की प्रथा का दुरुपयोग हो सकता है और यह जोखिम से भरी हुई है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि धोखाधड़ी के जोखिम को नियंत्रित रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक ऐसे प्रमाण पर तभी भरोसा करें जब वे कार्पोरेट और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा जारी किये गये हों तथा बैंकों को इस संबंध में सचेत होना चाहिए कि इस प्रकार के प्रमाण पत्र / पत्र जारी करने के लिए संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी कौन है। साथ ही, नियोक्ता के प्रमाणपत्र के अलावा, बैंक को कार्पोरेट तथा अन्य संस्थाओं के वेतनभोगी कर्मचारियों के बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी प्रयोजन के लिए धनशोधन निवारण नियमावली में दिये गये अधिकृत वैध दस्तावेजों (अर्थात् पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि) या उपयोगिता बिलों में से कम-से-कम एक की प्रस्तुति पर जोर देना चाहिए।

3. ये दिशा-निर्देश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क (सहकारी समितियों पर लागू) तथा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) नियमावली, 2005 के नियम 7 के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं। इनका उल्लंघन या अननुपालन बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है।

आरबीआई/2010-11/314 ग्राआऋवि.जीएसएसडी.बीसी.सं. 30/09.01.01/2010-11 दिनांक 15 दिसंबर 2010

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - समूह जीवन बीमा योजना

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

कृपया प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण - विशेष कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संबंध में 1 जुलाई 2010 के हमारे मास्टर परिपत्र आरबीआई/2010-11-56 ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं.7/09.01.01/2010-11 का पैरा 9 और भारत सरकार द्वारा जारी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना-दिशा-निर्देशों का पैरा 4.36 देखें।

2. भारत सरकार ने उक्त दिशा-निर्देशों के पैरा 4.36 को संशोधित किया है, जिसके अनुसार नैसर्गिक मृत्यु के मामले में समूह जीवन बीमा योजना के अंतर्गत मृतक के नामिती को जीवन बीमा निगम द्वारा 6,000/- रुपए की राशि देय होगी। दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के मामले में जीवन बीमा निगम द्वारा 12,000/- रुपए की राशि देय होगी। मास्टर परिपत्र के अनुदेशों को भी संशोधित समझा जाए।

3. आपको सूचित किया जाता है कि आप इस मामले में अपने नियंत्रण कार्यालयों और शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें।

आरबीआइ/2010-11/316 बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी. 67/ 12.02.001/2010-11 दिनांक 16 दिसंबर 2010

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

कृपया उपर्युक्त विषय पर 28 अक्तूबर 2009 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 51/12.02.001/ 2009-10 देखें ।

2. जैसा कि 16 दिसंबर 2010 को जारी तिमाही के मध्य में मौद्रिक नीति की समीक्षा के अंतर्गत घोषित किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि 18 दिसंबर 2010 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 25 प्रतिशत से घटाकर उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 24 प्रतिशत कर दिया जाए।

3. इससे संबंधित 16 दिसंबर 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 66 /12.02.001/2010-11 की प्रतिलिपि संलग्न है।

सं. बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी.66/12.02.001/2010-11 दिनांक 16 दिसंबर 2010

अधिसूचना

समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 28 अक्तूबर 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 50/12.02.001/2009-10 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 18 दिसंबर 2010 से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक 08 सितंबर 2009 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 40/12.02.001/2009-10 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 24 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

आरबीआइ/2010-11/323 ए.पी.(डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 29 दिनांक 22 दिसंबर 2010

निवासी भारतीयों द्वारा भारत के बाहर यात्रा करते समय इंटरनेशनल डेबिट कार्ड /स्टोर मूल्य कार्ड / चार्ज कार्ड/ स्मार्ट कार्ड का प्रयोग

विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्य करने वाले सभी प्राधिकृत बैंक

विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्य करने वाले सभी प्राधिकृत बैंकों का ध्यान 14 जून 2005 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 46 के पैराग्राफ 4 की ओर आकर्षित किया जाता है,जिसके अनुसार सभी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि कैलेंडर वर्ष के दौरान इंटरनेशनल डेबिट कार्ड धारकों द्वारा 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक सकल विदेशी मुद्रा का उपयोग किया जाता है तो उस मामले में वे प्रति वर्ष 31 दिसंबर को एक विवरण प्रस्तुत करें ।

2. यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त विवरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना बंद किया जाए । तदनुसार, विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्य करने वाले सभी प्राधिकृत बैंकों को सूचित किया जाता है कि कैलेंडर वर्ष 2010 से आगे उपर्युक्त विवरण प्रस्तुत करना बंद करें ।

3. 14 जून 2005 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं. 46 में निहित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हैं ।

4. इस परिपत्र में निहित शर्तें विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 (1999 की 42) की धारा 10(4) एवं 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के तहत यदि अनुमति/अनुमोदन आवश्यक हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी की गई हैं ।

आरबीआइ सं. 2010-11/324 बैंपविवि.बीपी. बीसी. 69/ 08.12.001/2010-11 दिनांक 23 दिसंबर 2010

वाणिज्य बैंकों द्वारा आवास ऋण -एलटीवी अनुपात, जोखिम भार तथा प्रावधानीकरण

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

कृपया मौद्रिक नीति 2010-11 की दूसरी तिमाही समीक्षा के 104 से 106 पैराग्राफ (उद्धरण संलग्न) देखें जिनमें वाणिज्य बैंकों द्वारा आवास ऋण के संबंध में कतिपय उपाय प्रस्तावित किए गए हैं । तदनुसार, बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

1. मूल्य के प्रति ऋण (एलटीवी) अनुपात

वर्तमान में बैंकों के आवास ऋण एक्सपोज़र के संबंध में एलटीवी अनुपात पर कोई विनियामक उच्चतम सीमा नहीं है । अत्यधिक लीवरेजिंग को रोकने के लिए अब से आवास ऋणों से संबंधित एलटीवी अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । तथापि, कम मूल्य के आवास ऋण अर्थात् 20 लाख रुपये तक के आवास ऋणों (जिन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है) के मामले में यह निर्णय लिया गया है कि एलटीवी अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. जोखिम भार

14 मई 2008 के परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 83/21.06.001/ 2007-08 के अनुसार 75 प्रतिशत तक एलटीवी अनुपात वाले रिहायशी आवास ऋणों के मामले में जोखिम भार 30 लाख रुपये तक के ऋण पर 50 प्रतिशत और उससे अधिक के ऋण पर 75 प्रतिशत है। यदि एलटीवी अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक है तो सभी आवास ऋणों के लिए जोखिम भार 100 प्रतिशत है, चाहे ऋण की राशि कुछ भी हो । अब से 75 लाख रुपये और उससे अधिक राशि वाले रिहायशी आवास ऋणों के लिए जोखिम भार 125 प्रतिशत होगा, चाहे एलटीवी अनुपात कुछ भी हो, ताकि उच्च मूल्य वाले आवासीय बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी को रोका जा सके ।

3. प्रावधानीकरण

यह देखा गया है कि कुछ बैंक लुभावनी (टीजर) दर अर्थात् पहले के कुछ वर्षों के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण मंजूर करने की प्रथा अपना रहे हैं जिसे बाद में उच्चतर दर पर पुनर्निर्धारित किया जाता है । यह प्रथा चिंताजनक है क्योंकि सामान्य ब्याज दर, जो प्रारंभिक वर्षों में लागू दर से उच्चतर रहती है, के एक बार प्रभावी होने के बाद कुछ उधारकर्ताओं के लिए उस दर पर ऋण की चुकौती करना काफी कठिन हो सकता है । यह भी देखा गया है कि कई बैंक प्रारंभिक ऋण मूल्यांकन करते समय इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उधारकर्ता सामान्य उधार दरों पर चुकौती करने की क्षमता रखता है या नहीं । अतः ऐसे ऋणों के साथ जुड़े उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण को 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 2.00 प्रतिशत कर दिया गया है । इन आस्तियों पर प्रावधानीकरण उस तारीख से 1 वर्ष बाद पुनः 0.40 प्रतिशत हो जाएगा जिस तारीख को दरों को उच्चतर दरों पर पुनर्निर्धारित किया गया हो, बशर्ते खाते 'मानक' बने हुए हों।